न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर (राज.)

कजोड़ बनाम सरकार वगैरह

मु. नं. - 344/2024

25/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली तहसील रिपोर्ट हेतु दिनांक 09/12/24 को पेश हो।

09/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश की। जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी व प्रतिवादी सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 13/12/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

13/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रा.पत्र, सहमति प्रा.पत्र, रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस को मनन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज० भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।

निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कार्य के बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
344/2020

तारीख दायर
03/09/2020

तारीख फैसला
13.12.2024

1. फकीर पुत्र राजत जाति मुसलमान निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अहमद पुत्र छीतर खां

कालू खां पुत्र छीतर खां

समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री सूरज शर्मा :– वकील प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू–राज0 अधिनियम

–: निर्णयः–

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता के वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 1545/614 रकबा 0.4300है0 ग्राम आंधी, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है तथा काश्त कर रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी की विरासती खातेदारी भूमि है जिस पर वादी व अन्य सहखातेदार काबिज काश्त है तथा वर्तमान में भी काबिज चले आ रहे है तथा सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि नवीन नक्शा कायम किया गया है वह प्रार्थी के कब्जे काश्त व मौका स्थिति के विपरित कायम किया है जिसका अधिकार अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 1 के सह कर्मचारियों को नही है क्योकि अप्रार्थी सं0 1 के कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि का नवीन नक्शा बनाते समय ना तो प्रार्थी को मौके पर बुलाये और ना ही प्रार्थी से पूछताछ की और ना ही प्रार्थी के पूर्व से चले आ रहे कब्जे का अवलोकन किया और बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की भूमि का नक्शा कब्जे काश्त के अनुसार न करके अप्रार्थी सं0 2 ता 3 की भूमि के स्थान पर कर दी गई है जबकि उक्त भूमि प्रार्थी विरासती भूमि है और उस पर प्रार्थी का वर्षो पुराना कब्जा चला आ रहा है जिस स्थान पर कर प्रार्थी की भूमि का नक्शा कायम न करके प्रतिवादी सं0 2 ता 3 की भूमि के स्थान पर कर दिया गया है जो कि एक प्रकार की लिपिकीय भूल है जिसको दुरूस्त करवाने का अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। अतः प्रार्थी की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1545/614 रकबा 0.4300है0 स्थित ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर का कब्जे काश्त के विपरीत जाकर बनाये ये नवीन नक्शें को दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शें व वर्षो से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा कायम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 ता 3 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती पर सहमति हेतु पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में हम प्रतिवादीगण कब्जे काश्त के आधार पर नक्शा दुरूस्त करवाना चाहते है जिसमें हम सभी की सहमति वादी फकीर खां को दी जाती है। प्रतिवादी सं0 2 ता 3 को उक्त प्रकरण में नक्शा दुरूस्त किया जाता है तो हमे किसी प्रकार की आपत्ति नही है। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर0टी0/2024/801 दिनांक 07.10.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1545/614 रकबा 0.43है0 किस्म बारानी 1 संलग्न जमाबन्दी अनुसार सह खातेदारी भूमि ग्राम आधी तहसील आंधी जिला जयपुर में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि के साबिक खसरा नम्बर 519 रकबा 5 बीघा दर्ज रिकार्ड था। साबिक खसरा नम्बर 519 का प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में आपसी सहमति से खाता विभाजन किया गया। जिसका नामा0 सं0 1447 दिनांक 31.12.2010द्वारा नामा0 स्वीकार किया गया। तत्पश्चात नवीन सेटलमेंट होने पर खसरा नम्बर 519 के नवीन खसरा नम्बर 614 कायम किये गये थे। उक्त नामा0 1447 का नोट जमाबन्दी संवत 2066–2067 में अंकित किया गया तथा जमाबन्दी चौसाला 2069–72 में उक्त नामा0 का अमल करते हुए नवीन खसरा नम्बर 1544/614 रकबा 0.84है0 एवं खसरा नम्बर 1545/614 रकबा 0.43है0 कायम किये गये। नवीन सेटलमेंट के पश्चात कायम खसरा नम्बर 614 की तरमीम राजस्व नक्शें में की गई जिसके पश्चात नक्शें में नवीन खसरा नम्बर 1544/614 व 1545/614 अंकित किये गये जो कि वर्तमान नक्शा में भी कायम है। उक्त कायम किये गये खसरा नम्बरान व मौके में भिन्नता है मौके पर खसरा नम्बर 1545/614 के खातेदार दक्षिण की तरफ एवं खसरा नम्बर 1544/614 के खातेदार उत्तरी दिशा में काश्त कर रहे है जिसके संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाया गया है एवं मौके अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगणों के सहमति प्रा0पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर व वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भूराजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम आंधी, पटवार हल्का आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि में वर्तमान खसरा नम्बर 1545/614 व 1544/614 को मौका कब्जे अनुसार अर्थात खसरा नम्बर 1545/614 को दक्षिण की तरफ एवं खसरा नम्बर 1544/614 को उत्तरी दिशा के अनुसार वर्तमान नक्शें को दुरस्त कर वर्तमान नक्शें में तरमीम की जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 13.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

(ललित मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
जमवरामगढ

Scanned with CamScanner